Thiruthuraipoondi—Agasthyamalai is yet to be done. Tomorrow, the people of Nagapattinam district, Thiruvarur district and adjacent districts are going to organise a ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : No, no; please ask your question.

SHRI D. RAJA : Sir, question is related to this. The hon. Minister should understand the gravity of the situation. It has been pending for such a long time. They are saying that there is a paucity of funds. Who will answer the people? People are going to ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : No, no; you are making a statement. Please ask your question.

SHRI D. RAJA : It is not a statement, Sir. It is bringing the issue to the notice of the concerned Minister. I want the hon. Minister to assure that Thiruvarur—Karaikudi—Thiruthuraipoondi—Agasthyamalai gauge conversion will be undertaken forthwith, as the people are demanding this. What is the reply of the Minister? It is a serious issue.

SHRI MUKUL ROY : Sir, again, it is a specific question for a particular line. I will request the hon. Member to come to my chamber during lunch hour. We will discuss and sort out the issue.

श्री साबिर अली : सर, हम लोग बार-बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN : Are we having a discussion on Railway Budget? ...(*Interruptions*)...

श्री साबिर अली : सर, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : साबिर अली साहब, आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री साबिर अली : सर, बार-बार वही लोग सामने आते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, प्लीज़। **...(व्यवधान)...** प्लीज़ बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** प्लीज़ बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री साबिर अली : हम लोग भी सदन में बैठे हैं। **...(व्यवधान)...** हमें भी मौका मिलना चाहिए। **...(व्यवधान)...** हम बार-बार हाथ उठाते हैं। **...(व्यवधान)...** हमें एक बार भी मौका नहीं मिलता है।

MR. CHAIRMAN : Questions have to be rotated in this House.

Plan to achieve higher growth

*403. SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a Government-appointed Committee on Agriculture, having renowned industrialists like Mukesh Ambani and Jamshed Godrej as members is

preparing an operational plan to achieve higher growth in the farm sector to ensure annual 4 per cent growth;

(b) if so, whether involvement of private sector could give positive fillip, keeping in view the constraints like monsoon vagaries, chronic shortage of power for running water-pumps and conventional cultivation techniques, etc.; and

(c) whether it will be ensured that poor and marginal farmers are not affected adversely by such constraints?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARISH RAWAT) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A Sub-committee on 'improving Agriculture Production and Food Security' comprising of Dr. Ashok Ganguly, Shri Mukesh Ambani, Shri Jamshyd N. Godrej, Shri M.S. Banga (Members) and Secretary, Department of Agriculture & Cooperation (Convener) was constituted to seek recommendation on improving agriculture production. The Committee's recommendations, *inter-alia*, include liberalizing agri-procurement, streamline norms for private investment in agricultural supply chain, revisiting Minimum Support Price (MSP) norms, linking agri-credit with crop insurance, increasing competition in rural banking, promoting R&D investments in high-yielding hybrids, promoting sustainable agricultural practices, leveraging and promoting technical innovations, conducting land reforms in phased manner, setting up agricultural parks, etc.

(b) and (c) The involvement of private sector is expected to give positive fillip to the development of agri-sector in the country benefiting the farming community, including the poor and marginal farmers.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा अहम प्रश्न है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आप सब आज किसानों की हालत से परिचित हैं। आज विदर्भ में आत्महत्याएं हो रही हैं, आन्ध्र प्रदेश में आत्महत्याएं हो रही हैं। अगर आप GDP 4 per cent पर लाना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जब तक आप किसानों को सहूलियत नहीं देंगे, तब तक यह possible नहीं है। आज कृषि उत्पादन बहुत कम हो रहा है और किसानों का मुनाफा भी बहुत कम हो रहा है। इसकी वजह से आज किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है। आज भी land holding का साइज कम है। इसमें बदलाव होना या नहीं होना है, यह बात भी हमें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि जो Minimum Support Price है, यह कब बिजनेस पर आधारित होगा? इसके साथ ही जो economy है, उसका किस प्रकार से ध्यान रखेंगे?

MR. CHAIRMAN : Thank you.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सर, अभी मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप introduction मत दीजिए, आप सवाल पूछिए।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : मैं अभी प्रश्न पर ही आ रहा हूं। सर, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया था, उसमें गांगुली साहब थे और मुकेश अम्बानी थे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम एग्रीकल्चर का कॉरपोरेटाइजेशन करने वाले हैं? नम्बर टू, मेरा यह **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN : One question, please. Let it be answered.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सर, यह रिपोर्ट कब तक आने वाली है? क्योंकि **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आपने सवाल पूछ लिया है।

SHRI SHARAD PAWAR : No corporatisation is going to take place, Sir.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सभापति जी, जवाब नहीं आया है **...(व्यवधान)...** सभापति जी, बेहतर उपज के लिए 7,340 टन बीजों का और 25 रोपण सामग्री के उत्पादन का विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिया था, ताकि किसान बेहतर उपज का लाभ उठा सकें, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय में समिति ने तमाम तकनीकी प्रावधानों को ध्यान में रखा है? मेरी जानकारी के अनुसार 2,300 तकनीकें न केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई हैं, बल्कि उनको सुधारा भी गया है। यह विशेष रूप से ऐसी फसलों की बाबत में, जोकि बरसाती फसलों के रूप में जानी जाती हैं और विशेष कर ऐसे क्षेत्र, जहाँ पर हमारी पूरी कृषि ऊपर के पानी पर आधारित है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है? मैं साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि वाटर लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को जो पानी चाहिए, वह प्रॉपर पानी उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर विशेषकर यह भी देखने में आया है कि जल स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उनमें प्रदूषण का भी ध्यान रखा गया है?

SHRI SHARAD PAWAR : Mr. Chairman, Sir, the Government appointed a Committee on Agriculture. The Terms of Reference of that Committee were enhancing agricultural production and food security. A group of eminent industrialists was also set up. They have submitted the report within five months and they have given fifteen recommendations. I can put these recommendations either on the Table of the House or I can give that even now also. These are matters of details. These recommendations are : liberalize agri-procurement; streamline norms for private investment in agricultural supply chain; revisit the Minimum Support Price norms; raise the level of rural banking services; link agricultural-credit with crop insurance; promote Research and Development investment in high-yielding hybrids; promote scientific practices for yield enhancement; promote development and usage of highly-effective very-low doses of non-persistent and safe pesticides; launch of focused education drive; provide incentives for the adoption of sustainable agricultural practices; leverage and promote technical innovation; promote land aggregation and contract farming through long-term land leases; promote agricultural service companies; promote edible oil production; and set up agricultural parks to accelerate the implementation of recommendation. So, these 15 recommendations have been given by this Committee. As Government has examined all these recommendations, some recommendations pertain to the Ministry of Finance, some recommendations pertain to some other Departments, and there are certain recommendations which pertain to the Ministry of Agriculture on which certain decisions have been taken.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA : Sir, ...

श्री सभापति : आपके दो सवाल हो गए हैं। **...(व्यवधान)...** दर्डा जी, आपके सवाल हो गए हैं।

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA : Sir, have they accepted the recommendations ?

श्री सभापति : उन्होंने जो जवाब दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए **...(व्यवधान)...**

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सभापति जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन रिकमेंडेशन्स को एक्सेप्ट किया है?

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, there are some which have already been accepted, for instance, recommendation regarding liberalizing agri-procurement. Their recommendation was that the person or the Company who would like to buy agriculture products in market, he should be allowed to do it with one licence throughout India. But that is not possible because in every State, there is APMC Act, and, under the APMC Act, the fellow has to check the licence from the person. We have requested all the Cooperation Ministers in the States to make amendment in the APMC Act. So, this suggestion can be implemented through amendment in the APMC Act.

There are certain States like Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Uttarakhand and Tripura, which have amended their APMC Acts. There are some States like Delhi, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, which have partially amended the law, and there are some States where there was no APMC Act at all and, therefore, they did not require any reform. These States are Bihar, Kerala, Manipur, Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Lakshadweep. There are some States which have already made this kind of a provision, such as Tamil Nadu.

श्री बसावाराज पाटिल : माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आजादी से पहले किसानों की फसल की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि सरकार भी जरूरत पड़ने पर उससे कम रेट में लेवी के नाम से खरीदती थी। हमारे देश के किसान ऐसे अमीर कब बनेंगे, यह मेरा पहला सवाल है?

श्री सभापति : आप एक सवाल पूछेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब सुन लीजिए।

श्री बसावाराज पाटिल : उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा, आज private participation हो रहा है। अभी कर्णाटक में एक पत्रिका ने आँकड़ा दिया है कि आने वाले 5 सालों में 40 करोड़ किसान गाँवों से शहरों की ओर जाने वाले हैं। क्या यह private participation का परिणाम हो सकता है? यह मौलिक प्रश्न है। पहले गाँव अमीर थे, इसके विपरीत अब गाँव के किसान गरीब बन गए हैं। आप एक महान कृषि मंत्री हैं, क्या आप इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं?

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री बसावाराज पाटिल : सर, मैंने सवाल पूछ लिया।

श्री सभापति : तो आप बैठ जाइए।

श्री शरद पवार : यह बात सच है कि इस देश में fragmentation बड़े पैमाने पर हो रहा है। 82 परसेंट farmers के पास 2 हेक्टेयर के नीचे जमीन है। इनमें से 60 परसेंट किसान ऐसे हैं, जिनकी कृषि को assured पानी नहीं है। उनको कुदरत के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने सहयोग देकर कई कदम उठाए। आज हम देश में इसका impact देख रहे हैं। पिछले 60 सालों में कभी इतना अनाज उत्पादन नहीं हुआ था, इस साल इतना अनाज इस देश के किसानों ने उत्पादित किया। The production has been, approximately, 253 million tonnes, which is the highest in the last 60 years. इस साल wheat, rice, cotton का पिछले 60 सालों का production record है। इस देश के किसानों ने इतना ज्यादा production किया है। यह सब जो बदलाव आ रहा है, वह इसलिए कि इसमें किसानों का सहयोग है, राज्य सरकारों की मदद है और भारत सरकार की नीति सही है। फिर भी यह बात सच है कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी holding कम है, जिनके परिवार में ज्यादा लोग हैं, वहाँ परिवार के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर रहेंगे, तो यह खेती उनकी समस्या हल करने के लिए काफी होगी या नहीं, ऐसी चिन्ता उनके मन में है। इसलिए यह बात भी सच है कि urbanization पर shifting करने का एक trend है।

DR. YOGENDRA P. TRIVEDI : Sir, the cooperatives in Maharashtra, Gujarat and some other places have done wonderfully well in increasing the productivity of their farms, but in the rest of the country, we find that because of fragmentation the agricultural productivity has been very low. Is the Government considering allowing private corporations to take up small pieces of land on lease—only on lease, and not to own them—and then cultivate, at least, cash crops for the purpose of improving their productivity so that they can be at parity with some of the advanced countries in terms of per hectare production?

SHRI SHARAD PAWAR : It is the endeavour of the Government to protect the ownership rights of the farmers, and Government will not support the suggestion made by the hon. Member.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, अभी तक तो कृषि मंत्री जी से उन्हीं के दल के सदस्यों ने प्रश्न किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिला-जुला है **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN : Please ask your Question.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय कृषि मंत्री जी, मैं इसे देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि जिन्हें गेहूं और जौ की बाली में अंतर भी नहीं मालूम, वे किसानों की समस्या का हल करने की कमेटी में हैं।

श्रीमन, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने आपको अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें से मैं तीन चीजें पूछना चाहता हूं, जो किसानों की मुख्य समस्याओं से सम्बन्धित हैं। एक तो प्राइस फिक्सिंग का आधार उन्होंने क्या रखा है? दूसरा प्रश्न, देश में किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि उनकी उपज की खरीद और मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करे, इसके संबंध में पूछना चाहता हूं और तीसरा प्रश्न स्टोरेज के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। इन तीन चीजों के सम्बन्ध में उन्होंने जो अपने विचार दिए, उसके बारे में माननीय मंत्री जी कृपया सदन में बताने का कष्ट करें।

श्री शरद पवार : इस कमेटी ने प्राइस के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन वे सुझाव स्वीकार करना हमें कुछ ठीक नहीं लगा। उनका सुझाव यह है कि जो मार्केट में कृषि उत्पादन आएगा, उसमें जहां तक बफर की रिक्वायरमेंट है, वहीं तक भारत सरकार को खरीदना चाहिए और बाकी अन्य लोगों के लिए वह मार्केट खुला छोड़ दिया जाए। हम किसी भी राज्य में जाते हैं, जहां भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, मार्केट में उससे कम कीमत रहती है। इससे किसानों की मांग यह आती है कि प्राइस मेंटेन करने के लिए आपको खरीद शुरू करनी चाहिए। आज पंजाब में ऐसा ही हो रहा है कि जो टोटल मार्केट एराइवल है, उसमें से ९6% एराइवल Food Corporation of India खरीदती है। हरियाणा में भी यही स्थिति है, आन्ध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है, वेस्टर्न यूपी में इतनी तो नहीं, मगर इसी के आस-पास की स्थिति है। लेकिन उनका यह सुझाव था कि बफर स्टॉक के लिए जितनी जरूरत है, उतना ही आपको परचेज़ करना चाहिए। किसानों के ऊपर इसका बुरा असर होगा, क्योंकि एक तो इससे लिमिटेड परचेज़ हो जाएगी, दूसरा, किसका माल खरीदना है किसका नहीं खरीदना, उस पर भी एक तरह से संघर्ष ही परिस्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारी नीति यह है कि जो कीमत तय हो गई है, अगर उनकी उपज की कीमत उस कीमत से नीचे जाने लगे, तो भारत सरकार को वह खरीदना ही पड़ेगा और उसे खरीदने की हमारी पूरी तैयारी रहेगी।

Access to modern technology for farmers

*404. SHRIMATI T. RATNA BAI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that farmers in remote areas are denied access to modern agricultural know-how and technology as well as yield-enhancing inputs, such as good seeds, fertilizers, pesticides, improved tools and the like;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps being taken by Government to avoid such a situation in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARISH RAWAT) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) In view of reply to part (a) above, question does not arise.

(c) In order to ensure farmers' access to yield enhancing inputs like quality seeds, fertilizers, pesticides and improved machinery & tools, various schemes including Development & Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Quality Seed; Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY); Integrated Scheme on Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize (ISOPOM); Macro Management of Agriculture (MMA); National Food Security Mission (NFSM); Accelerated Pulse Production Programme (APPP); National Horticulture Mission (NHM); Horticulture Mission for North Eastern and Hill States (HMNEH); Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion (INSIMP) and Technology Missions on Cotton, Jute & Mesta are being implemented.